राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1152/2024

रवि दत्त पूनिया पुत्र भागीरथ पूनिया, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी रेलवे स्टेशन शेरेंका के पास, चक 2 एस.एस.डब्ल्यू., झांबर, तहसील और जिला हनुमानगढ़

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. साहब राम पुत्र श्री बुध राम, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 10, शेरेंका, पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री विकास नागवान सुश्री मानवी राजवंशी श्री योगेश अग्रवाल
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री गौरव सिंह, पीपी श्री सुशील बिश्नोई, प्रतिवादी सं.2 हेतु।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

08/08/2024

1. याचिकाकर्ता आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 7/2024 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संख्या 2, हनुमानगढ़ द्वारा पारित दिनांक 09.02.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत उप मंडल मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा सीआरपीसी की धारा 146 के तहत पारित दिनांक 05.01.2024 के आदेश को खारिज करते हुए पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई थी, जिसमें तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ को विवादित संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया था।

2. सुनवाई हुई।

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने विवादित संपत्ति ग्राम उत्थान प्राधिकरण, विद्यापीठ संगरिया से 30.07.1994 को आयोजित नीलामी के माध्यम से

1,25,000/- रुपये में खरीदी थी। नीलामी के बाद याचिकाकर्ता ने कब्जा ले लिया। श्री कृष्ण चंद्र करवासरा को अनुबंध निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि, जब आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ता ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करते हुए विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया, जो वर्तमान में लंबित है। विचाराधीन भूमि बाद में 2023 में एक अन्य बिक्री विलेख के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 दोनों ने इस मामले के संबंध में शिकायतें दर्ज कराईं, जिनकी जांच एसएचओ, पीएस हनुमानगढ़ द्वारा की गई। जांच के बाद, एसएचओ ने सीआरपीसी की धारा 145/146 के तहत विद्वान एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। विद्वान एसडीएम ने दिनांक 05.01.2024 के आदेश के माध्यम से संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके इस निर्णय को चुनौती दी, जिसे अनुमति दी गई, जिससे रिसीवर नियुक्त करने वाले विद्वान एसडीएम के आदेश को खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

5. यहां उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 05.01.2024 के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने में अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसके तहत प्रतिद्वंद्वी कब्जे और शीर्षक दोनों के दावों की अंतिमता के अधीन भूमि के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया था।

6. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर, स्थिरता और गुण-दोष दोनों के आधार पर, सकारात्मक है। आइए जांच करें कि ऐसा क्यों हुआ।

7. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विद्वान एसडीएम द्वारा पारित आदेश अंतरिम है या अंतिम, पहले यह देखना होगा कि रिसीवर की नियुक्ति धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के साथ सह-समाप्त होती है या नहीं। उल्लेखनीय है कि धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही चल रही थी जब धारा 146 सीआरपीसी के तहत रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया गया था, और उचित आदेश पारित किए गए थे। यह देखते हुए कि यह एक अंतरिम आदेश है, विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। अकेले इस आधार पर, आक्षेपित आदेश अस्थिर है।

8. इसके अलावा, गुण-दोष पर तर्क से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 30.07.1994 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विचाराधीन भूमि खरीदी, जिसमें ग्राम विद्यापीठ, संगरिया को रुपये 1,25,000/- का भुगतान किया, जो इस प्रकार विक्रेता होने के नाते शीर्षक का दावा करता है। हालांकि यह हैरान करने वाला है कि प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ता द्वारा 1994 में पूरी कीमत चुकाने के बावजूद, 2023 में एक बाद के खरीदार के रूप में उसी संपत्ति पर दावा कैसे करता है, जो खरीद समझौते के माध्यम से कब्जे का दावा करता है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक नीलामी में खरीदार के रूप में याचिकाकर्ता का दावा प्रतिवादी संख्या 2 के दावे की तुलना में अधिक मजबूत है, जिसने 2023 में एक अन्य बिक्री विलेख के माध्यम से उसी भूमि को खरीदा था।

9. जैसा भी हो, प्रतिद्वंद्वी शीर्षकों में से कौन सा वैध है, इसका निर्धारण इस न्यायालय के लिए नहीं है, क्योंकि बिक्री के संबंध में एक सिविल मुकदमा पहले से ही लंबित है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया है, और मुकदमा अभी भी चल रहा है।

10. यह कहना पर्याप्त है कि विद्वान एस.डी.एम. द्वारा रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पूरी योजना के अंतर्गत उचित था। रिसीवर की नियुक्ति धारा 145 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत कार्यवाही के समापन अथवा मुकदमे के समापन, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त हो जाएगी। कानून में यह परिकल्पना की गई है कि धारा 145 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत कार्यवाही में सिविल न्यायालय के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से विद्वान एस.डी.एम. के निष्कर्षों पर प्रबल होंगे।

11. इस प्रकार पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है तथा एस.डी.एम. द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है।

12. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।